न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 16 / 2020

अनवान :–

1. वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विनोद पत्नी रणसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. शर्मिला पत्नी रविन्द्र कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सविता पत्नी यशपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सोना पत्नी सिताराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण / सायलान

बनाम्

1. धन्नाराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रामप्रताप पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री हरिसिह सिहाग, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 15/4/21

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के प0न0 343 / 387(84) किला न0 6 से 9 ,12 से 19 कुल 3. 0360हैक बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के प0न0 343 / 386(65) किला न0 16 ,17 ,18 व किला न0 23 ता 25 तथा मु0न0 343 / 387(84) के किला न0 3 ता 5 की मुमकिन व गैरमुमकिन रास्ता की भूमि सहीत व प0न0 344 / 386 (66) किला न0 19 ,20 ,21 22 की भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

अप्रार्थीगण की उक्त्त मु0न0 84 के किला न0 3 ता 5 में से प0न0 लाईन पर पूर्व से पश्चिम 0.0770हैक रास्ता स्वीकृत शुद्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व चालु है इसी स्वीकृत शुद्वा रास्ता से प्रार्थीगण मु0न0 84 के किला न0 5 में से उत्तर , दक्षिण एक गठठा रास्ता अपने किला न0 6 में आवागमन करने हेतु स्वीकृत करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि मु0न0 84 में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है तथा उक्त रास्ता प्रार्थीगण के लिये सुविधा जनक भी है।

प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही होने के कारण काफी परेशानी होती है प्रार्थीगण मु0न0 84 के किला न0 5 उत्तर से दक्षिण एक गठठा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है प्रार्थीगण रास्ते की भूमि में जितनी भूमि आती है अप्रार्थीगण को उसकी भूमि के चिपते हुए देने को तैयार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 5 ए बारानी के प0न0 343 / 387(84) के किला न0 5 में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण रजिस्टर सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तहसीलदार नोहर / पेरोकार राज ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की जाकर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 दोनो ही खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एव एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है।

अप्रार्थीगण की उक्त मु0न0 84 के किला न0 3 ता 5 में से प0न0 लाईन पर पूर्व से पश्चिम 0.0770हैक रास्ता स्वीकृत शुद्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व चालु है इसी स्वीकृत शुद्वा रास्ता से प्रार्थीगण मु0न0 84 के किला न0 5 में से उत्तर , दक्षिण एक गठठा रास्ता अपने किला न0 6 में आवागमन करने हेतु स्वीकृत करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि मु0न0 84 में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है तथा उक्त रास्ता प्रार्थीगण के लिये सुविधा जनक भी है।

प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही होने के कारण काफी परेशानी होती है प्रार्थीगण मु0न0 84 के किला न0 5 उत्तर से दक्षिण एक गठठा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है प्रार्थीगण रास्ते की भूमि में जितनी भूमि आती है अप्रार्थीगण को उसकी भूमि के चिपते हुए देने को तैयार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की खातेदार काश्तकार को उसकी भूमि काश्त करने के लिये रास्ता दिया जा सकता है राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता चाहते है।

अप्रार्थीगण की उक्त मु0न0 84 के किला न0 3 ता 5 में से प0न0 लाईन पर पूर्व से पश्चिम 0.0770हैक रास्ता स्वीकृत शुद्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व चालु है जो प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा से पूर्णत्या साबित है।

प्रार्थीगण उक्त स्वीकृत शुद्वा रास्ते से होते हुए अप्रार्थी के मु0.न0 84 के किला न0 5 में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि किला न0 6 मे प्रवेश करते है यही रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है एवं प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता भी नही है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को मु0न0 84 के किला न0 5 में रास्ता दिया जाने पर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकते है एवं प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता पत्थर लाईन पर भी है एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार न्यायोचित भी है

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतो/मौका रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 5 ए बारानी के प0न0 343/387(84) के किला न0 5 में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मु0न0 84 के किला न0 3 में अप्राथी संख्या 1 ता 3 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/4/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 /   दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 16 सन 2020 निर्णय दिनांक

अनवान :–

1. वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विनोद पत्नी रणसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. शर्मिला पत्नी रविन्द्र कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सविता पत्नी यशपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सोना पत्नी सिताराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण / सायलान

बनाम्

1. धन्नाराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रामप्रताप पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के प0न0 343 / 387(84) के किला न0 5 में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मु0न0 84 के किला न0 3 में अप्राथी संख्या 1 ता 3 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर